प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3081/2007

याचिकाकर्ता - बी.आर. मण्डावी, पिता श्री झुमुक लाल मण्डावी, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी – आशीष नगर, भिलाई, स्ट्रीट नं. 10, पश्चिम क्वार्टर नं. 06/10, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1.छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, (छ.ग.)

2. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

3. कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

4. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

.....

उपस्थित:

श्री जितेन्द्र गुप्ता, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

.....

मौखिक आदेश

(दिनांक 11 मई, 2007 को पारित)

1. याचिकाकर्ता, एकीकृत बाल विकास परियोजना, धमधा, जिला दुर्ग में परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत था। धमधा में पदस्थापना के दौरान, कर्मचारियों को वेतन

भुगतान में विलंब तथा शासकीय धन के गबन के संबंध में कुछ शिकायतें की गईं। उत्तरवादी क्रमांक 3, अर्थात् कलेक्टर, दुर्ग ने विभागीय जांच की प्रस्तावना में, आदेश दिनांक 18 अक्टूबर, 2006 (अनुलग्नक पी./2) के माध्यम से याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया।

2. ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 (जिसे आगे 'नियम, 1966' कहा गया है) के नियम 9(1)(क) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित विभागीय जांच 45 दिनों के भीतर प्रारंभ नहीं की जा सकी। उक्त निलंबन आदेश को आदेश दिनांक 15.12.2006 (अनुलग्नक पी./3) के द्वारा निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता को पुनः आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 2007 (अनुलग्नक पी./1) के माध्यम से, उन्हीं आरोपों तथा कुछ अतिरिक्त आरोपों के आधार पर पुनः निलंबित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता ने दिनांक 17 अप्रैल, 2007 (अनुलग्नक पी./1) के निलंबन आदेश की वैधता एवं विधिसंगतता को इस आधार पर चुनौती दी है कि पूर्व में उन्हीं आधारों पर पारित निलंबन आदेश को निरस्त किए जाने के पश्चात, उसे पुनः उन्हीं आधारों पर निलंबित नहीं किया जा सकता था। द्वितीयतः, याचिकाकर्ता का स्थानांतरण अन्य स्थान पर कर दिया गया है, अतः वह विभागीय कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने अथवा प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं है।

4. याचिकाकर्ता की यह कोई शिकायत नहीं है कि आक्षेपित निलंबन आदेश पारित करने वाला अधिकारी सक्षम प्राधिकारी नहीं है। यह भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के अधीन अपेक्षित रूप से विचाराधीन/प्रस्तावित है।

5. यह विधि का सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि निलंबन एक अस्थायी प्रकृति का होता है तथा यह किसी प्रकार का दण्ड नहीं है जिससे नागरिक दुष्परिणाम उत्पन्न हों। निलंबन का अर्थ केवल कर्तव्यों के अस्थायी निरसन से है, न कि पद या दर्जे में किसी प्रकार की

कटौती से। निलंबित कर्मचारी, शासकीय सेवक बना रहता है, किन्तु विभागीय जांच लंबित होने के दृष्टिगत उसे कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती, ताकि जांच की कार्यवाही पर किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव न पड़े अथवा अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की संभावना न रहे। इस अवस्था में याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इससे लंबित विभागीय कार्यवाही में पक्षकारों के प्रकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है (देखें: *श्रीमती फिलोमिना एक्का बनाम राज्य छत्तीसगढ़ एवं अन्य*[1])।

6. तथापि, चूँकि निलंबन दण्ड के समतुल्य नहीं है, अतः याचिकाकर्ता निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, दिनांक 15.12.2006 से 01.05.2007 तक उसे कोई भुगतान नहीं किया गया है। उत्तरवादी प्राधिकारी, याचिकाकर्ता को दिनांक 15.12.2006 से लेकर 17.04.2007 को निलंबन आदेश पारित होने तक वेतन के भुगतान से वंचित नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता को पुनः निलंबित किए जाने के पश्चात वह निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तदनुसार, उत्तरवादी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि के लिए विधिसम्मत वेतन तथा तत्पश्चात निर्वाह भत्ता यथाशीघ्र प्रदान किया जाए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. मैं निलंबन आदेश में उल्लिखित आरोपों की जांच करने का प्रस्ताव नहीं करता, क्योंकि विभागीय जांच पहले से लंबित है। यह आदेश लंबित जांच की गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। जांच प्राधिकारी इस आदेश से अप्रभावित रहते हुए जांच की कार्यवाही आगे बढ़ाए।

8. उपर्युक्त कारणों से, दिनांक 17 अप्रैल, 2007 (अनुलग्नक पी./1) के निलंबन आदेश को अभिखण्डित किए जाने की सीमा तक प्रस्तुत रिट याचिका संक्षेप में खारिज की जाती है।

---

1 2006 (2) C.G.L.J. 64

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur